उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 10.03.2016 को सम्पन्न विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की आठवीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित हुए:

1. प्रोफेसर सुभाष धूलिया, कुलपति – अध्ययक्ष
2. प्रोफेसर पी0डी0 पंत, परीक्षा नियंत्रक – सदस्य सचिव
3. प्रोफेसर गोविन्द सिंह, निदेशक पत्रकारिता वि0शा0 – सदस्य
4. प्रोफेसर एच0पी0 शुक्ल, निदेशक भाषा विज्ञान वि0शा0 – सदस्य
5. प्रोफेसर गिरिजा पाण्डे, निदेशक समाज विज्ञान वि0शा0 – सदस्य
6. प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, कुलसचिव – सदस्य

आमंत्री सदस्य–

1. श्री प्रदीप पाठक, विभागाध्यक्ष आई0सी0टी0
2. डा0 डी0के0 मथेला, प्रशासनिक परामर्शदाता व परीक्षा प्रभारी, परीक्षा अनुभाग
3. श्री विपिन चन्द्र तेवारी, प्रशासनिक परामर्शदाता, परीक्षा अनुभाग
4. श्री विमल कुमार, वित्त अनुभाग
5. श्री नवनीत मेहरा, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, परीक्षा अनुभाग
6. श्री सुमित प्रसाद, सहायक परीक्षा नियंत्रक
7. डा0 सूर्यभान सिंह, सहायक परीक्षा नियंत्रक
8. डा0 सुचित्रा अवस्थी, सहायक परीक्षा नियंत्रक

परीक्षा नियंत्रक द्वाा परीक्षा समिति के अध्ययक्ष की अनुमति से बैठक आरम्भ हुई। समिति के सम्मानित सदस्यों तथा उपस्थित अधिकारियों का अभिनंदन तथा स्वागत किया गया। सर्वप्रथम कुलपति जी ने वर्ष 2014–15 में परीक्षा अनुभाग द्वारा सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा के सुसंचालन के लिए परीक्षा नियंत्रक प्रो. पी.डी.पंत व उनकी टीम को बधाई दी, जिसका सभी माननीय सदस्यों ने समर्थन किया। परीक्षा नियंत्रक द्वारा संबंधित प्रस्तावों पर विचार हेतु सदस्यों को आमंत्रित किया जिस पर बैठक में प्रस्तावावार चार्चा की गयी तथा निम्न संस्तुति प्रदान की गई :

प्रस्ताव–8.1 सातवीं बैठक दिनांक 14 मार्च 2015 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

परीक्षा समिति की सातवीं बैठक 14 मार्च 2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन परीक्षा समिति द्वारा किया गया।

प्रस्ताव– 8.2 परीक्षा समिति की सातवीं बैठक दिनांक 14 मार्च 2015 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही

परीक्षा समिति की सातवीं बैठक दिनांक 14 मार्च 2015 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही का समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव –8.3 प्रयोगात्मक परीक्षा, मौखिक परीक्षा एवं परियोजना कार्य के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों को दिए जाने वाले मानदेय के संबंध में–

(1) कम संख्या 1,2, व 3 पर प्रस्तावित दरों पर भुगतान हेतु समिति द्वारा संस्तुति दी गई।

(2) प्रस्ताव के क.सं. 04 व 05 के कम मे निर्धारित दरों मे समानता लाने हेतु दिनांक 09.03.2016 को परीक्षा अनुभाग की बैठक में लिए गए निर्णयों से अवगत कराया। परीक्षा समिति द्वारा इसमें आशिंक संशोधन करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है– **परियोजना कार्य के लिए शुल्क का निर्धारण –**

(अ) जहॉ पर परियोजना कार्य 04 क्रेडिट अथवा एक प्रश्नपत्र के बराबर होगा वहॉ पर प्रति परीक्षार्थी की दरें निम्नवत होगी–

परियोजना शुल्क	₹ 1000.00
लघु परियोजना हेतु निर्देशन पारिश्रमिक	₹ 300.00
मूल्यांकन पारिश्रमिक	₹ 200.00
मौखिक (viva) पारिश्रमिक	₹ 100.00

(ब) जहां परियोजना कार्य 05 क्रेडिट से 12 क्रेडिट अथवा दो प्रश्नपत्र के बराबर या अधिक होगा वहां प्रति परीक्षार्थी दरें निम्नवत् होगी–

परियोजना शुल्क	₹ 1500.00
लघु परियोजना हेतु निर्देशन पारिश्रमिक	₹ 500.00
मूल्यांकन पारिश्रमिक	₹ 300.00
मौखिक (viva) पारिश्रमिक	₹ 100.00

(3) मौखिक का पारिश्रमिक ₹ 100 प्रति परीक्षार्थी व अधिकतम ₹ 5000 होगा।

(4) क्षेत्रीय कार्य (field work) मूल्यांकनकर्ता को ₹ 50 प्रति परीक्षार्थी देय होगा।

(5) एक परियोजना कार्य मूल्यांकनकर्ता को अधिकतम 10 परियोजना कार्य ही दिये जायेंगे।

(6) जहां पर परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो वहां पर केंद्रीय मूल्यांकन पद्धति को अपनाते हुए प्रतिदिन प्रति मूल्यांकनकर्ता द्वारा अधिकतम 25 परियोजना कार्यों का मूल्यांकन किया जाए।

(7) एम0एड0 सहित अन्य विषयों में जहां पर यू0जी0सी0 द्वारा अब मान्यता प्रदान नही की जा रही है उन्हें पूर्ण होने तक पूर्व निर्धारित दरों से ही मानदेय का भुगतान होगा।

प्रस्ताव –8.4 विश्वविद्यालय परीक्षा के दौरान परीक्षा केंन्द्र को दिये जाने वाले आनुषंगिक व्यय में विचार कर संशोधन के संबंध में–

परीक्षा केन्द्रों को आनुषंगिक व्यय न्यूनतम ₹ 1500 या ₹ 12 प्रति छात्र की दर से, इन दोनों में जो भी अधिक हो वह परीक्षा केन्द्र को भुगतान किये जाने की संस्तुति समिति द्वारा दी गई।

प्रस्ताव –8.5 वर्तमान में डिग्री,डिप्लोमा व प्रमाणपत्र दिये जाने से पूर्व निर्धारित दरों मे संशोधित किये जाने के संबंध में –

क. स.	नाम	प्रस्तावित ₹
1-	Fee for Original Provisional /Certificate/Degree/Diploma	100.00
2-	Fee for Duplicatel Provisional / Certificate/Degree/Diploma	150.00
3-	Fee for Original Certificate	300.00
4-	Fee for Original Diploma	300.00
5-	Fee for Original Degree	300.00
6-	Fee for Duplicate Marksheet	300.00(FIR)
7-	Fee for Duplicate Degree/Diploma/Certificate	1000.00 Along with other legal papers.

डिग्री,डिप्लोमा एवं प्रमाणपत्र आदि अभिलेखों की उचित वितरण व्यवस्था के उद्देश्य से तथा कठिनाईयों के समाधान हेतु प्रस्तावित शुल्क पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव –8.6 प्रश्नपत्रों के मोडरेशन हेतु बाह्य एंव आन्तरिक परीक्षकों को देय धनराशि के संबंध में–

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त परीक्षा समिति ने निर्णय दिया कि मोडरेशन का कार्य अति सवेदनशील एंव गोपनीय है। मोडरेशन का कार्य बाह्य परीक्षक से कराये जाने पर प्रश्नपत्र प्रगटन या गोपनीयता भंग होने की सम्भावना रहती है। अतः जहां तक सम्भव हो आन्तरिक परीक्षक से ही मोडरेशन कराया जाय।केवल अपरिहार्य स्थिति में गोपनीयता का ध्यान रखते हुए अपवाद स्वरुप ही बाह्य परीक्षक से मोडरेशन कराया जा सकता हैं। आन्तरिक परीक्षक द्वारा मोडरेशन का कार्य केवल सहायक प्राध्यापक/ प्रोफेसरों से ही करवाया जाय। जिन विषयों/पाठ्यक्रमों में केवल अकादमी एसोसियेट्स कार्यरत हों वहॉ पर यह कार्य सम्बन्धित विद्याशाखाओं के निदेशकों के निर्देशन में ही करवाया जाय।

मॉडरेशन कार्य हेतु वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षकों को पारिश्रमिक ₹ 300 प्रति प्रश्नपत्र की दर से भुगतान किये जाने पर समिति द्वारा संस्तुति दी गई।

प्रो.पी.डी.पंत, परीक्षा नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षा अनुभाग में एक स्ट्रांग रुम की स्थापना की गयी हैं, जिसमें मोडरेशन कार्य पूर्ण गोपनीयता के साथ सम्पन्न कराया जाता है।स्ट्रांग रुम में सुरक्षा हेतु मुख्य दरवाजे पर एक चैनल गेट तथा सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाने के अनुरोध को स्वीकार करने का परीक्षा समिति से अनुरोध किया।

समिति द्वारा मोडरेशन के मानदेयों को यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया तथा चैनल गेट तथा सी. सी.टी.वी. कैमरे लगाने के अनुरोध को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया।

प्रस्ताव –8.7 परीक्षा केन्द्रों में आन्तरिक सचल दल (Internal Flying Squad) की नियुक्ति तथा भुगतान दरों के संबंध में–

परीक्षा नियन्त्रक द्वारा परीक्षा समिति को अवगत कराया गया कि परीक्षा केन्द्रों में परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षकों के स्थान पर आन्तरिक सचल दल की नियुक्त किये जाने हेतु प्रस्ताव में कुलपति जी से अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। आन्तरिक सचल दल मे सदस्यों की सख्या तथा मानदेय निम्नवत् निर्धारित किया गया है।

(1) आन्तरिक सचल दल के तैनाती के मानक–

परीक्षर्थी संख्या 100 तक 02, 200 तक 03 तथा 200 से अधिक 04 आन्तरिक सचल दल की तैनाती केन्द्राध्यक्ष द्वारा की जानी होगी।

(2) निर्धारित दरें–

निर्धारित मानदेय दरें ₹ 120 प्रति पाली व ₹ 50 प्रतिदिन आकस्मिक व्यय।

(3) आन्तरिक सचल दल के सदस्य केन्द्राध्यक्ष के नेतृत्व में, परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी के प्रवेश से पूर्व उसकी भली–भॉति तलाशी लेंगे ताकि कोई अवैध सामग्री परीक्षा कक्ष में प्रविष्ट न हो सके। आन्तरिक सचल दल परीक्षा अवधि में किसी भी समय परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते है। नकलविहीन परीक्षा बनाने की दृष्टि से आन्तरिक सचल दल का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है।

परीक्षा समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि हमारे आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इनके अनुरुप आवश्यक्तानुसार बाह्य सचल दल भी गठित करें। जिसमें एक महिला सदस्य जरुर सम्मिलित हो।एक सदस्य विश्वविद्यालय से सहायक प्रोफेसर, दो सदस्य उस क्षेत्र से नियुक्त किए जाए । इस प्रकार तीन सदस्यीय दल का गठन परीक्षा नियन्त्रक के द्वारा किया जाए।सभी परीक्षा केन्द्रो में समान रुप से प्रभावी नियन्त्रण हो।

परीक्षा की गरिमा व सुचिता बनाए रखने के लिए उपरोक्त प्रस्ताव पर समिति द्वारा संस्तुति दी गई।

प्रस्ताव–8.8 ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु निर्धारित दरों के संबंध में–

प्रति प्रश्नपत्र ₹ 1.00 ओ.एम.आर उत्तरपुस्तिका व न्यूनतम ₹ 200 भुगतान किये जाने पर समिति द्वारा संस्तुति दी गई।

प्रस्ताव – 8.9 परीक्षार्थियों की अंकतालिका, प्रमाण पत्र व उपाधि सत्यापन हेतु शुल्क निर्धारण के संबंध में–

सत्यापन प्रकिया में होने वाले व्यय को देखते हुए ₹ 100.00 की धनराशि भुगतान होने के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन किये जाने पर समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई।

प्रस्ताव 8.10–पुर्नमूल्यांकन व चुनौती मूल्यांकन की सुविधा पर पुनःविचार किए जाने के संबंध में–

उक्त प्रस्ताव पर विचार कर परीक्षा समिति द्वारा बताया गया कि सभी मुक्त विश्वविद्यालयों में ये सुविधायें परीक्षार्थियों को प्रदान की जा रही है। चाहे वह मूल्यांकन से जुडी प्रकिया हो या किसी पाठ्यक्रम को एक निश्चित अवधि में पूर्ण करने की समयावधि हो। अतः प्रथम प्रस्ताव को लागू करने में समस्या उत्पन्न होगी। परन्तु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कम संख्या 02 में सहमति प्रदान की जाती है। जिससे वर्तमान शुल्क में वृद्धि करने पर अनावश्यक प्रकरणों मे रोक लगेगी।

गहन विचार विमर्श के उपरान्त स्कूटनी, पुर्नमूल्यांकन व चुनौती मूल्यांकन में केवल शुल्क वृद्धि क्रम0 स0 02 (स्कूटनी आवेदन शुल्क ₹ 100 से ₹ 200, पुर्नमूल्यांकन आवेदन शुल्क ₹ 200 से ₹ 500 तथा चुनौती मूल्यांकन शुल्क ₹ 1000 से ₹ 2000) किये जाने पर समिति द्वारा संस्तुतति प्रदान की गई ।

प्रस्ताव –8.11 परीक्षा विभाग में कार्य कर रहे कार्मिकों को परीक्षा के दौरान मानदेय भुगतान किये जाने के संबंध में–

परीक्षा समिति ने इस संबंध में चर्चा की तथा विचार व्यक्त किया कि परीक्षा अनुभाग तथा पुस्तक वितरण अनुभाग (एम.पी.डी.टी) में अतिरिक्त समय में कार्य करने वाले कार्मिकों को विभागाध्यक्ष की अनुमति/स्वीकृति पर ओवरटाइम (overtime) पारिश्रमिक दिया जा सकता है। इसके लिए विभागाध्यक्ष निर्णय लेंगे। इस हेतु समिति गठित कर निर्णय लेने हेतु समिति द्वारा अनुमोदन दिया गया।

अन्य बिन्दु–

अध्यक्ष जी की अनुमति से निम्न बिंदुओं पर भी चर्चा की गयी –

(अ) परीक्षा नियन्त्रक द्वारा संज्ञान में लाया गया कि विश्वविद्यालय में पॉच वाहन चालक है। इसमें से मनीष कुमार सिंह वर्तमान में परीक्षा अनुभाग में कार्यरत है। अन्य चार वाहन चालकों ने अपने पत्र द्वारा अनुरोध किया है कि उन्हे भी समान रुप से परीक्षा कार्य से संलग्न किया जाए।

इस संबंध में परीक्षा नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया कि परीक्षा की आवश्यकता को देखते हुए इन्हें भी चक्रानुक्रम से परीक्षा कार्य में लगाया जा सकता है।

(ब) परीक्षा समिति के सम्मुख यह प्रकरण भी संज्ञान में लाया गया कि अधिकतर प्रोजेक्ट रिर्पोट कभी–कभी पूरी की पूरी नकल की गयी होती है। अतः ऐसे प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया जाय ।

(स) परीक्षा नियन्त्रक द्वारा परीक्षा समिति के संज्ञान में लाया गया कि अब परीक्षार्थियों द्वारा पूरे वर्ष भर पंजीकरण किया जा सकता है। जुलाई से दिसम्बर तक पंजीकृत परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा जून माह में तथा जनवरी से जून तक पंजीकृत परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षा दिसम्बर माह में होगी।

(द) विश्वविद्यालय में वर्तमान में प्रत्येक पाठ्यकम/विषयों मे अंकों का विभाजन लिखित व सत्रीय कार्य में 60 व 40 अंकों का है। यह देखने में आया है कि अधिकतर परीक्षार्थी सत्रीय कार्य में बहुत अधिक अंक प्राप्त कर लेते हैं, जो परीक्षाओं की गुणवत्ता की दृष्टि से उचित प्रतीत नही होता है। इस संबंध में चर्चा के दौरान यह सहमति व्यक्त की गयी कि इस अनुपात को लिखित 70 व सत्रीय कार्य 30 अंक का किया जाए। परीक्षा समिति द्वारा यह सुझाव दिया गया कि इस संशोधन के लिए विद्याशाखाओं के माध्यम से यह प्रस्ताव विद्या परिषद व कार्य परिषद में प्रस्तुत किया जाए।

(य) परीक्षा नियंत्रक द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि परीक्षा के गोपनीय कार्य हेतु वाह्य परीक्षक विश्वविद्यालय आमंत्रित किये जाते है परन्तु इस कार्य हेतु लोकल यात्रा के लिए उन्हें कोई यात्रा व्यय नही दिया जाता है।

समिति द्वारा परीक्षा कार्य के लिए वाह्य परीक्षक को लोकल यात्रा हेतु न्यूनतम ₹ 300 दिये जाने पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(र) परीक्षाओं के सफल संपादन हेतु प्राध्यापकों/कर्मचारियों की पूर्व तैनाती मानक में परिवर्तन किया जाना है समिति द्वारा इस हेतु निम्न परिवर्तन किये जाने हेतु समिति द्वारा संस्तुति दी गई ।

परीक्षा सहायक– मानदेय व तैनाती मानक :

1– परीक्षा सहायक का मानदेय रू0 150/– प्रतिपाली व रू0 50/– आकस्मिक व्यय सहायक केन्द्राध्यक्ष के समान देय होगा।

2– एक पाली में परीक्षार्थी संख्या 200 तक 01 परीक्षा सहायक तथा परीक्षार्थी संख्या 200 से अधिक होने पर 01 अतिरिक्त परीक्षा सहायक की तैनाती कर केन्द्राध्यक्ष द्वारा परीक्षा संचालन किया जायेगा।

अन्त में परीक्षा समिति द्वारा कुलपति जी के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन हुआ।

(प्रो0 सुभाष धूलिया)
कुलपति/अध्यक्ष

12.4.16
(प्रो0 पी0डी0 पंत)
परीक्षा नियंत्रक/सदस्य सचिव